उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

रिट याचिका संख्या–1266 वर्ष 2008

पूरण सिंह व अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य

..... प्रतिउत्तरदाता

उपस्थित अधिवक्तागण।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : श्री राकेश थपलियाल (वरिष्ठ अधिवक्ता)
श्री मुकेश कप्रवाण एवं नीति राणा

प्रतिउत्तरदाता की ओर से : श्री पी0सी0 बिष्ट

प्रतिवादी द्वारा तैयार की गई अंतिम चयन सूची से व्यथित उपनिरीक्षक, पुलिस के पद पर नियुक्ति के लिए क्रमांक 1 से 4 तक याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष हें। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि प्रतिवादी संख्या–5 से 7 तक का उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण हेतु नियमावली को निरस्त किया जाए तथा परमादेश जारी किया जाए एवं उत्तरदातों को विवादित परिणाम में सुधार करने का निर्देश जारी किया।

2. मामले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय में पुलिस कांस्टेबल के रूप में कार्य कर रहे थे। वे उपनिरीक्षक के पद पर अपनी पदोन्नति के लिए विचार किये जाने के पात्र हैं। याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। दिनांक 15.03.2007, प्रतिवादी संख्या–3 ने उपनिरीक्षक के पद पर चयन के लिए प्रक्रिया का विवरण देकर एक परिपत्र जारी किया। याचिकाकर्ता प्रारम्भिक परीक्षा में उपस्थित हुए। उनका चयन किया गया, वे शारीरिक परीक्षण और मेन्स परीक्षा में भी सफल रहे। वे इंटरव्यू में भी उपस्थित हुए और परिणाम घोषित किया गया। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद के लिए चुने गए तीन उम्मीदवारों ने इतने अधिक अंक प्राप्त किए, जिससे वे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के हकदार हो गए। इसके

बावजूद, उन आरक्षित तीन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के तहत नियुक्त नहीं किया गया, जिन उम्मीदवारों ने उन तीन आरक्षित उम्मीदवारों से कम अंक प्राप्त किए, उन्हें सामान्य श्रेणी के तहत नियुक्ति दी गई। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जिन तीन अभ्यर्थियों ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त किये थे, वे प्रतिवादी संख्या–5 से 7 हैं। यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि तीन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिन्हांने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करके अंक हासिल किए थे, उन्हें गैर आरक्षित श्रेणी में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची में अगले थे, आरक्षित वर्ग को उपनिरीक्षक पद पर चयन मिल जाएगा। याचिका में विभिन्न सरकारी आदेशों का हवाला दिया गया है ताकि यह बात सामने आ सके कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार मेरिट में आता है, ताकि वह सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, तो ऐसे उम्मीदवार पर विचार किया जाना चाहिए और उसे सामान्य वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं द्वारा अंतिम चयन सूची को चुनौती दी गई है, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या–5 से 7 की नियुक्ति को चुनौती दी गई है कि उन्हें आरक्षण के लिए लागू नियमों की अवहेलना करते हुए सूची में शामिल किया गया है।

3. राज्य ने अपने जवाबीदावे में कथन किया है कि अंतिम चयन सूची विधिपूर्वक बनाई गई थी। यह राज्य का मामला है कि अंतिम चयन सूची सिविल पुलिस शाखा और इंटेलिजेंस ब्यूरो शाखा के बीच उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्प के अनुसार बनाई गई थी। उम्मीदवारों द्वारा व्यक्त की गई प्राथमिकता के आधार पर, उनका चयन किया गया और प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। यह स्पष्ट रूप से राज्य का मामला है कि आरक्षित श्रेणी के सात उम्मीदवारों को जिन श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अंक प्राप्त करने के बावजूद आरक्षित श्रेणी के विरूद्ध चुना गया था क्योंकि अन्यथा उन्हें उनकी प्राथमिकता का पद नहीं मिल रहा था। इसलिए उनके प्राथमिकता विकल्प को ध्यान में रखते हुए, उनका चयन किया गया। इसके बाद राज्य द्वारा पूरक जवाबी हलफनामे के माध्यम से दिनांक 01.08.1996 का एक सरकारी आदेश भी रिकॉर्ड में लाया और यह कथन किया कि चूक के कारण इसे जवाबी हलफनामे के साथ दाखिल नहीं किया गया।

4. प्रतिवादी संख्या–5 से 7 तक ने अपने जवाबी हलफनामे में राज्य के मामले का समर्थन किया और उनके अनुसार पूरी चयन प्रक्रिया पुलिस की दो शाखाओं, सिविल पुलिस शाखा और इंटेलिजेंस ब्यूरो शाखा के लिए थी, जिसके लिए प्रत्येक उम्मीदवार के इंटरव्यू से पहले विकल्प आमंत्रित किए गए थे। ताकि उन्हें उसके अनुसार मेरिट सूची में रखा जा सके। चयन के निम्न मापदण्ड थे, 1–उम्मीदवार की योग्यता और

2–उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत विकल्प। प्रतिवादी संख्या–5 से 7 के अनुसार संपूर्ण रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा लिया गया रूख स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि चयन सरकारी आदेश दिनांक 01.08.1996 के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार का चयन किया जाता है, तो उसके प्राथमिकता विकल्प का ध्यान में रखते हुये वरिष्ठता सूची में रखा जाए। यदि मेधावी आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अपने प्राथमिकता विकल्प के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के बीच अपना स्थान पाता है, तो उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में रखा जाए, लेकिन इसके विपरीत यदि मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को उसके प्राथमिकता विकल्प के अनुसार सामान्य श्रेणी के बीच जगह नहीं मिल रही है, तो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को प्राथमिकता विकल्प के बीच में रखा जाए।

5. प्रतिवादी संख्या–8 से 10 द्वारा अलग–अलग जवाबदावा में भी राज्य के कथनों का समर्थन किया है। उनका जवाबदावा प्रतिवादी संख्या–5 से 7 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के अनुरूप है। उन्होंने उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्रथमिकता विकल्क के साथ–साथ पद पर चयन हेतु दिनांकित 01.08.1996 सरकारी आदेश को भी प्रभावित किया है।

6. याचिकाकर्ताओं ने अपने अलग–अलग प्रतिउत्तर में चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग किये गये विकल्प पर प्रश्न उठाया है कि किसी उम्मीदवार द्वारा व्यक्त की गई प्रथमिकता के आधार पर चयन कानून की नजर में कायम नहीं रह सकते। विकल्प और इच्छा एवं प्राथमिकता किसी उम्मीदवार की अपनी पंसद होती है। यह स्थापित कानूनी सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति पर हावी नहीं हो सकती है।

7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

8. अंतिम बहस के समय प्रतिवादी संख्या–5 से 7 और प्रतिवादी संख्या–8 से 10 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि पूरी चयन प्रक्रिया प्रतिवादी संख्या–3 के पत्र दिनांकित 15.03.2007 के आधार पर शुरू की गई थी, जिसके द्वारा पूरी चयन प्रक्रिया बतायी गयी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 15.03.2007 के क्रम संख्या–9 के इस पत्र में बताया गया है कि अंतिम योग्यता सूची कैसे तैयार की जाए। इसके अनुसार, अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा और इंटरव्यू/व्यक्तिगत परीक्षण में प्राप्त अंकों और चरित्र भूमिका/सेवा रिकॉर्ड के मूल्यांकन के आधार पर तैयार की जानी थी। यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 15.03.2007 का यह पत्र कहीं भी यह निर्धारित नहीं करता है कि किसी भी उम्मीदवार के विकल्प का अंतिम चयन सूची की तैयारी को प्रभावित करेगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

के अुनसार, इस पत्र दिनांक 15.03.2007 से पहले की गई कोई भी कार्यवाही कनून की नजर में गलत होगी।

10. बहस के दौरान विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा कुछ बिन्दु उठाये गयेः–

i. शासनादेश दिनांक 28.04.2005 एवं 25.03.1994 आरक्षित श्रेणी को सामान्य श्रेणी के विरूद्ध रखने का तरीका भी निर्धारित करता है यदि सामान्य वर्ग के विरूद्ध आरक्षित श्रेणी का उम्मीवार प्रतिस्पर्धा करता है।

ii. प्रतिवादी संख्या–5 से 7 को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित श्रेणी के विरूद्ध जयनित पहले तीन उम्मीदवारों की तुलना में कम अंक प्राप्त हुये।

iii. कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार गैर आरक्षित पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उक्त पद पर उनकी नियुक्ति की स्थिति में, आरक्षण का प्रतिशत निकालने के लिए उनकी संख्या को जोड़ा नहीं जा सकता है और उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में अगले है और यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत चयनित पहले तीन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में नियुक्ति दी जाती है, तो उस स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 5 से 7 की नियुक्ति को निरस्त करना होगा और याचिकाकर्ताओं को अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित श्रेणी में नियुक्ति मिलेगी।

iv. उत्तरदाताओं ने विशेष रूप से पुलिस विभाग में, नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के विकल्प को ध्यान में रखने में घोर त्रुटि की, क्योंकि दिनांक 15.03.2007 का पत्र जिसके द्वारा पूरी चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसमें कहीं भी विकल्प का उल्लेख नहीं किया गया है।

v. अन्यथा भी , यह तर्क दिया गया है कि ऐसा विकल्प कानून के स्थापित सिद्धांत को खत्म नहीं करता है। पूरी चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण है।

vi. राज्य द्वारा अपना जवाबदावा प्रस्तुत करते समय दिनांक 01.08.1996 के सरकारी आदेश का उल्लेख नहं किया गया था और बाद में, इसे प्रस्तुत किया गया था, लेकिन दिनांक 01.08.1996 के इस सरकारी आदेश का इस मामले में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पदोन्नति

प्रक्रिया के माध्यम से चयन दिनांक 15.03.2007 को शुरू किया गया था, जो उम्मीदार के किसी विकल्प की बात नहीं करता है।

vii. दिनांक 01.08.1996 के शासनादेश में चयन की बात नहीं कही गई है। यह केवल पद आवंटन की बात करता है। एक बार चयन हो जाने के बाद ही पर आवंटित करने का प्रश्न उठता है, इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि यदि दिनांक 01.08.1996 के सरकारी आदेश पर भी गौर किया जाए, तो यह उत्तरदातों को किसी भी उम्मीदवार के विकल्प के आधार पर चयन करने में सक्षम नहीं बनाता है। अधिक से अधिक अंतिम सूची तैयार होने के बाद पुलिस विभाग के विशेष विंग आवंटित करते समय विकल्प देने जा सकते थे।

viii. शासनादेश दिनांक 01.08.1996 तत्काल चयन प्रक्रिया पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह उपरी अधिनस्थ सेवाओं पर लागू किया गया है, जो कि बिल्कुल अलग है।

11. अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कानून के सिद्धांतों पर भरोसा किया, जैसा कि आर0के0 सबरवाल और अन्य बनाम पंचाब राज्य व अन्य (1995) 2 एस0सी0सी0 745 एवं बिहार राज्य बनाम कौशल किशोर सिंह व अन्य (1998) 9 एस0सी0सी0 104 के मामले में बताया गया है।

12. आर0के0 सबरवाल और अन्य बनाम पंचाब राज्य व अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ यह माना है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार गैर–आरक्षित के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की स्थिति में, उनके आरक्षण का प्रतिशत निकालने के लिए उनकी संख्या को जोड़कर कार्य करने हेतु विचार नहीं किया जा सकता है।

13. कौशन किशोर सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई टिप्पणी पर गौर करने से पहले, उस मामले के तथ्यों की जांच करना उचित होगा। कौशल किशोर सिंह (सुप्रा) के मामले में बिहार राज्य चयन सेवा बोर्ड ने नियुक्ति के लिए 978 पदों का विज्ञापन दिया, लेकिन बाद में कुछ और पद शामिल किए गए। पदों की लगभग 7 श्रेणियां थी। उनके वेतनमान भिन्न–भिन्न थे। बोर्ड ने समय पर उपलब्धता के अनुसार विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों पर विचार किया और वेतनमान और नौकरी की आवश्यकताओं की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की सिफारिश की। उस मामले में उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा था कि कोई योग्यता सूची तैयार नहीं की गई थी और जिन उम्मीदवारों के पास कुछ नौकरी या पात्रता के लिए योग्यता थी, उन्हें नियुक्ति के लिए विचार किया जाना

आवश्यक था। यह मानते हुए कि उम्मीदवारों का चयन और नियुक्ति बिना मेरिट सूची और विकल्प मांगे बिना तैयार की गई थी, इसे मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने कौशल किशोर सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश को खारिज नहीं किया। उस मामले में माननीय सर्वोचच न्यायालय ने जो कहा वह इस प्रकार है

> 5. .....हमे नहं लगता कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंड कानूनन सही है। भले ही विकल्प मांगे गए हों ओर दिए गए हों, सरकार के लिए उम्मीदवारों के विकल्प स्वीकार करना और पद पर नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। उम्मीदवारों से विकल्प मांगना केवल एक विवेकाधीन मामला है ओर सरकार इसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने के लिए बाध्य नहीं है। इन परिस्थितियों में, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, हालांकि उन्होंने विकल्प चुना था, उनके पास कोई अर्जित अधिकार नहीं है, किसी विशेष पद पर चयन या नियुक्ति के लिए अपरिहार्य और पूर्ण अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया है, सरकार को उनकी नौकरी की आवश्यकता और आवश्यकता के आधार पर, विभागों में चयनित उम्मीदवारों के आवंटन के लिए एक उद्देश्यपूर्ण और तर्क संगत विधि या तरीका निर्धारित करना होगा। चूंकि वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत मानदण्डों का पालन नहं किया गया इसलिए इस उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हैं।

15. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता का कहना है कि वास्तव में याचिका की सुनवाई योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने रिअ याचिका के अनुलग्नक–7 का हवाला दिया, जो आरक्षित श्रेणी के चयनित उम्मीदवारों की एक सूची है, यह तर्क देने के लिए कि यचिकाकर्ताओं ने भी उन उम्मीदवारों से कम अंक प्राप्त किये हैं, जो चयनित आरक्षित उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं। इस समय, यह न्यायालय केवल यह उल्लेख करना चाहेगा कि यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि चयनित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की मौजूदा सूची में उन्हें जगह मिल सकती है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि आरक्षित श्रेणी के चयनित शीर्ष तीन उम्मीदवारों ने उच्च अंक प्राप्त किए थे ताकि वे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सके। इसलिए आरक्षित श्रेणी में चयनित उन तीन शीर्ष उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में समायोजित किया जाना चाहिए और चूंकि याचिकाकर्ता आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची में थे इसलिए उन्हें उपर के पद पर पदोन्नति के लिए चयनित उम्मीदवार की सूची में जगह मिलेगी। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह ध्यान दिया जा

सकता है कि यह याचिकाकर्ता का आगे का मामला है कि उस स्थिति में, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ मुकाबले जिन प्रतिवादी संख्या–5 से 7की नियुक्ति हुई है उन्हें जाना होगा, क्योंकि उन्हें आरक्षित श्रेणी के चयनित अभ्यर्थियों की सूची में शीर्ष पर मौजूद तीन अभ्यर्थियों से कम अंक मिले थे।

16. आज बहस के दौरान विद्वान राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुलिस मुख्यालय देहरादून द्वारा दिनांक 20.10.2008 को दिया गया एक पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो कि पत्रावली पर संलग्न नहीं है, लेकिन इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसे पत्रावली में संलग्न किया जाये। इसके पैरा–2 में यह उल्लिखित है कि उपनिरीक्षक के पद के लिए अंतिम चयन उम्मीदवारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विकल्पों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। तब न्यायालय ने जानना चाहा कि क्या इस प्रस्ताव को कभी अंतिम रूप दिया गया था क्योंकि यह पत्र सिफ प्रस्ताव की बात करता है। इसका भी कोई जवाब नहीं मिला, वास्तव में विद्वान राज्य वकील ने दिनांक 02.09.2021 के एक पत्र का उल्लेख किया, जो महानिरीक्षक, कार्मिक, उत्तराखण्ड द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, नैनीताल को इस विष पर किया गया था। इस पत्र के पैरा–5 में लिखा है कि दो पदों पर पदोन्नति की गई है, लेकिन दोनों पद कहां है क्योंकि 15.03.2017 के पत्र में उपनिरीक्षक के पद पर यानी पद पर पदोन्नति की बात कही गई है। इसलिए विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा आज बहस के दौरान जो पत्र रखा गया है, वह राज्य की मदद नहीं करता है।

17. विचारणीय प्रश्न बहुत ही संकीर्ण दायरे में है। विद्वान राज्य अधिवक्ता कानून की स्थापित स्थिति को स्वीकार करते हैं कि यदि कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार गैर आरक्षित पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है, तो उसे गैर आरक्षित श्रेणी में नियुक्ति मिलेगी।

18. विद्वान राज्य अधिवक्ता के अनुसार, ऐसा किया गया है वर्तमान मामले में भी, लेकिन, जो तर्क दिया जा रहा है वह यह है कि चयन करते समय उम्मीदवारों के विकल्प पर भी विचार किया गया था। उपनिरीक्षक के पद का चयन, चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। यह स्वीकार है कि दो शाखाएं थी, सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो। किसी भी शाखा के लिए पदोन्नति नहीं की गई। यह सिविल पुलिस में सब इंस्पेक्टर या इंटेलिजेंस ब्यूरों में सब इंस्पेक्टर की अलग–अलग पदोन्नति का मामला नहीं था। सब–इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। दिनांक 15.03.2007 के इस पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अंतिम सूची कैसे तैयार की जाएगी। अंतिम सूची का आधार उम्मीदवार द्वारा तीन अलग–अलग चरणों में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाना था। वे मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू/व्यक्तित्व

परीक्षण और चरित्र भूमिका/सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन है। यह पत्र दिनांक 15.03. 2007 किसी उम्मीदवार दक्षता का आंकलन करने की किसी अन्य विधि के बारे में बात नहीं करता है। किसी भी विकल्प का कोई संदर्भ नहीं है।

19. अपने जवाबदावा में, राज्य ने दिनांक 01.08.1996 के एक सरकारी आदेश का संदर्भ दिया है। जिन निजी उत्तरदाताओं के अलग–अलग जवाबदावा दायर किया है, हालांकि अंतिम बहस के समय उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, उन्होंने 01.08.1996 के सरकारी आदेश का भी संदर्भ दिया है। यह राज्य द्वारा दायर दिनांक 08.09.2010 के जवाबदावा का अनुलग्नक–1 है। दिनांक 01.08.1996 के इस सरकारी आदेश के विषय का अवलोकन करने से पता चलता है कि वास्तव में, यह सरकारी आदेश संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षा, विशेष रूप से पदों के आवंटन और आरक्षण सुनिश्चित करने से संबंधित है। मौजूदा मामले में चयन की प्रक्रिया उपरी अधीनस्थ या संयुक्त राज्य सेवाओं की लिए नहीं थी। यह राज्य का मामला नहीं है कि उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा के दायरे में आता है। तो कैसे यह सरकारी आदेश दिनांक 01.08.1996 इस मामले में लागू है ? वास्तव में यह मौजूदा मामले की चयन प्रक्रिया पर लागू नहीं होता है।

20. इसके अलावा यदि इस शासनादेश दिनांकित 01.08.1996 का परीक्षण किया जाये, तो इसमें विकल्प के आधार पर चयन की बात नहीं कही गयी है। इसमें पदों के आवंटन की बात कही गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा के संदर्गत विभिन्न पद हैं, जिनके लिए एक संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाती है और चयन सूची के आधार पर, आवंटन सरकारी आदेश दिनांकित 01.08. 1996 के अनुसार किया जाता है। मौजूदा मामले में उपनिरीक्षक के पद पर चयन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, इसलिए यह सरकारी आदेश अन्यथा मौजूदा मामले में भी लागू नहीं होता है।

21. वर्तमान मामले में उम्मीदवारों के पास उपनिरीक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह अलग बात है कि उन्हें कौन सा विंग आवंटित किया गया है, सिविल पुलिस या इंटेलिजेंस ब्यूरो। यह उद्देश्य के लिए, शायद एक बार अंतिम सूची तैयार हो जाने के बाद, प्रतिवादी राज्य द्वारा विकल्पों पर विचार किया गया होगा। लेकिन एक ही पद के लिए अंतिम चयन सूची तैयार करते समय, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू/व्यक्तित्व परीक्षण या चरित्र प्रमाण पत्र/सेवा रिकॉर्ड के विकल्प नहीं हो सकते हैं। प्रतिवादी राज्य ने ऐसा किया है। अंतिम चयन सूची बनाते समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रयोग किये गये विकल्प के मापदण्ड को शामिल कर विधिक भूल की गई है। यह प्रक्रिया के अनुरूप नहं है। इस न्यायालय के समक्ष कोई सरकार आदेश,

कोई परिपत्र या यहां तक कि पत्र भी नहीं रखा गया है, जो राज्य को उपनिरीक्षक के एक पद के लिए अंतिम चयन सूची तैयार करते समय उम्मीदवार के विकल्प पर विचार करने में सक्षम कर सके।

22. इसलिए इस न्यायालय का यह मानना है कि वर्तमान मामले में एक त्रुटि हुयी है। अंतिम चयन सूची दोषपूर्ण है और यह प्रतिवादी राज्य को दिनांक 15.03.2007 के पत्र के मद्देनजर चार महीने की अवधि के भीतर अंतिम चयन सूची बनाने के निर्देश के साथ अपास्त करने योग्य है।

23. तद्नुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

24. मामले में तैयार की गई अंतिम चयन सूची को रद्द किया जाता है। प्रतिवादी संख्या–1 से 4 को आदेशित किया जाता है कि चार माह की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या–3 के दिनांक 15.03.2007 के पत्र के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार करें।

(रवींद्र मैठाणी, न्यायाधीश)

दिनांक 03.09.2021